राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-02-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची जिला: अशोकनगर तहसील : मुंगावली अधिकार अभिलेख तैयार ग्राम का नाम एवं क्र. करने के लिए प्राधिकृत प.ह.नं. अधिकारी का नाम (1)(2) (3) अधीक्षक, भू-अभिलेख, 01. मूल ग्राम-बरवाह (नियमित) 02. नवीन ग्राम—माधौपुर प.ह.नं. 46. जिला अशोकनगर. तहसील : ईसागढ़ जिला: अशोकनगर अधीक्षक, भू-अभिलेख, 02. 01. मूल ग्राम—मामौन 02. नवीन ग्राम—आमोला (नियमित) जिला अशोकनगर. प.ह.नं. ४९. 01. मूल ग्राम—छपरा 03. 02. नवीन ग्राम—बुडेरा प.ह.नं. 40. 01. मूल ग्राम—ढाकोनी 02. नवीन ग्राम—डेलकावर 03. नवीन ग्राम-छत्तरपर प.ह.नं. 57. जिलाः अशोकनगर तहसील : चन्देरी 01. मूल ग्राम—सुरैल अधीक्षक, भू-अभिलेख, 02. नवीन ग्राम—नीमखेडा (नियमित) प.ह.नं. 21. जिला अशोकनगर. 01. मूल ग्राम-जारसल 06. 02. नवीन ग्राम-चक्कजारसल प.ह.नं. 40. 01. मूल ग्राम—बडैरा 07. 02. नवीन ग्राम-चक्क बडैरा प.ह.नं. 09.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. एफ 15-02-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-02-2013-सात-6, दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd May 2013

F. No. 15-02-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil :	Maungavali	District : Ashoknagar
S. No.	Name of original D village	esignation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
	Org. Vill.—Barwah New Vill.—Madhopur P.H.No.—46.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Ashoknagar.
Tahsil: Isagarh		District : Ashoknagar
	Org. Vill.—Mamon New Vill.—Amola P.H.No.—49.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Ashoknagar.
	Org. Vill.—Chapra New Vill.—Budera P.H.No.—40.	
. 02.	Org. Vill.—Dhakoni New Vill.—Delkavar New Vill.—Chattarpur P.H.No.—57.	

Tahsil: Chanderi

P.H.No.—21.

05. 01. Org. Vill.—Surel Superintendent of Land 02. New Vill.—Neemkheda Records (permanent),

District : Ashoknagar

District—Ashoknagar.

(2)(3) (1)

- 06. 01. Org. Vill.—Jarsal Superintendent of Land 02. New Vill.—Jarsal Chhak Records (permanent), P.H.No.—40. District—Ashoknagar.
- 07. 01. Org. Vill.—Badera
 - 02. New Vill.—Badera Chhak P.H.No.—09.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-03-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

तहसील : बुरहानपुर

जिला : बुरहानपुर

- अधिकार अभिलेख तैयार ग्राम का नाम एवं क्र. करने के लिए प्राधिकृत प.ह.नं. अधिकारी का नाम
- (1)(2) (3)
- 01. मूल ग्राम—बिरोदा अधीक्षक, भू-अभिलेख,
 - 02. नवीन ग्राम-भोलाना (नियमित) जिला बुरहानपुर. प.ह.नं. 01.
- 01. मूल ग्राम—बोरगांवखुर्द
 - 02. नवीन ग्राम—गारबर्डी प.ह.नं. 09.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. एफ 15-03-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-03-2013-सात-6, दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd May 2013

F. No. 15-03-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil: Burhanpur District: Burhanpur S. No. Name of original Designation of the Officer authorized to prepare village record of rights (1) (2) (3) 01. 01. Org. Vill.—Biroda Superintendent of Land 02. New Vill.—Bholana Records (permanent),

02. 01. Org. Vill.—Borgoan Khurd 02. New Vill.—Garbardi P.H.No.-09.

P.H.No.—01.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

District—Burhanpur.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-04-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

जिला : श्योपुर तहसील : श्योपुर अधिकार अभिलेख तैयार ग्राम का नाम एवं क्र. करने के लिए प्राधिकृत प.ह.नं. अधिकारी का नाम (1)(2) (3) 01. मूल ग्राम—बगदिया अधीक्षक, भू-अभिलेख,

- 01.
 - 02. नवीन ग्राम-माधो (नियमित) जिला श्योपुर का डेरा.
 - 03. नवीन ग्राम—दीवानचंद का डेरा.
 - 04. नवीन ग्राम—तिल्ली डेरा प.ह.नं. 04.